



Neutral Citation No. - 2026:AHC:25056-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 1512/2026

बेचेलालयाचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्यप्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता : दिग्विजय सिंह, सुधीर कुमार सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान रिट याचिका याची द्वारा निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"(A) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 का मुकदमा अपराध संख्या 0340/2024, धारा 191(2), 115(2), 103(1), 61(2) बी.एन.एस., थाना- मऊदरवाजा, जनपद- फर्रुखाबाद में दिनांक 19.11.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुक्रम में मामले की निष्पक्ष और उचित विवेचना करने का आदेश और निर्देश दिया जाए।

(B) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जो यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और ठीक समझे।

(C) इस रिट याचिका का खर्च याची के पक्ष में प्रदान करें।"

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याची वर्तमान मामले में प्रथम सूचनाकर्ता है और यद्यपि वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट 19.11.2025 को पंजीकृत की गई है, फिर भी पुलिस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विवेचना नहीं कर रही है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. उपरोक्त के आलोक में, याची अपनी शिकायत को रेखांकित करते हुए और निष्पक्ष एवं पारदर्शी विवेचना की मांग करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद के समक्ष एक आवेदन दे सकता है और यदि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद के समक्ष ऐसा आवेदन दिया जाता है, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद/प्रत्यर्थी संख्या 2 वर्तमान मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।
5. उपर्युक्त टिप्पणी के साथ, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजिव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

3 फरवरी, 2026

के.यू.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"